संख्या–6/12/73टी.सी.–IV–का–2/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक :27 जून, 2012

विषय :– उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को तात्कालिक आर्थिक संकट से उबारने हेतु *"उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974"* (यथासंशोधित) बनाई गयी है। उक्त नियमावली के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर सेवायोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

2– उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य व अन्य में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.05.1994 को पारित आदेश के अनुसार मृतक आश्रित की नियुक्ति आकस्मिक विपत्ति के दृष्टिगत की जाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए और यदि यह पाया जाता है कि सेवायोजन के अतिरिक्त परिवार उत्पन्न संकट से उबर पाने में सक्षम नहीं है, तो परिवार के, सेवायोजन हेतु योग्य सदस्य को समूह 'ग' या समूह 'घ' के पद पर सेवायोजन प्रदान किया जाना चाहिए। समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों से ऊपर के पद पर सेवायोजन विधिक रूप से अनुमन्य नहीं (legally impermissible) है।

3– उपर्युक्त के कम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी मृतक आश्रित की नियुक्ति समूह 'क' अथवा समूह 'ख' के पद पर कदापि न की जाए।

4– कृपया शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कृष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–6/12/73टी.सी.–IV–का–2/2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ ।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(एच.एल. गुप्ता)
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 9 सा0 नियुक्ति–17.07.2014–(566)–1000 प्रतियां (आफसेट)।